रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 544] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 1971/आश्विन 12, 1893

No. 544] NEW DELHI, WEDNESDAY NOVEMBER 3, 1971/ASVINA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 3rd November 1971

S.O. 5081.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby specifies the 3rd day of November, 1971, as the date on which the Road Transport Corporations Act, 1950, as amended by the Delhi Road Transport Laws (Amendment) Ordinance, 1971 (Ordinance No. 21 of 1971) shall come into force in the Union territory of Delhi.

[No. 5-TAG(23)/71-I.]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1971

का० आ० 5081.—सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 (1950 का 64) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा नवम्बर, 1971 की तीसरी तारीख को दिल्ली सड़क परिवहन विधि (संशोधन) अध्यादेश 1971 (1971 का अध्यादेश सं० 21) से यथा संशोधित सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के लागू होने की तारीख के रूप में निर्दिष्ट करती है ।

[संख्या 5–टी०ए०जी०(23)/71-I]

S.O. 5082.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government, having regard to

(a) the advantages offered to the public, trade and industry by the development of road transport; and

(b) the desirability of extending and improving the facilities for road transport throughout the Union Territory of Delhi and of providing an efficient and economical system of road transport service therein;

hereby establishes, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette a Road Transport Corporation, to be called "the Delhi Transport Corporation", for the whole of the Union territory of Delhi.

[No. 5-TAG(23)/71-II.]

का० आ० 5082.—सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार

(क) सड़क परिवहन के विकास से जनता, व्यापार और उद्योग को प्राप्त लाभ; और

(ख) दिल्ली के समस्त संघीय क्षेत्र में सड़क परिवहन की सुविधाओं की वृद्धि और सुधार और उसमें सड़क परिवहन सेवा के कुशल और कम खर्चीली पद्धति की व्यवस्था करने की वांछनीयता की दृष्टि

से एतद्द्वारा इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के समस्त संघीय क्षेत्र के लिये दिल्ली परिवहन निगम नाम का सड़क परिवहन निगम स्थापित करती है ।

[सं० 5-टी०ए०जी०(23)/71–2]

S.O. 5083.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Delhi Transport Corporation established by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. 5-TAG(23)/71-I, dated the 3rd November, 1971, namely:—

1. Dr. A. N. Jha, Lt. Governor, Delhi.
2. Shri K. Narayanan, Joint Secretary, Ministry of Shipping and Transport.
3. Shri P. N. Jain, Joint Secretary, Ministry of Finance.

4. Shri S. C. Pandey, Director of Transport, Delhi.
5. Shri R. P. Vaish.

2. Dr. A. N. Jha, Lt. Governor, Delhi, shall be the Chairman of the Corporation. Corporation.

[No. 5-TAG(23)71-III.]

एस०ओ० 5083.—सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 14) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को नौवहन और परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 5–टी०ए०जी० (23)।71–1 दिनांक 3 नवम्बर, 1971 द्वारा स्थापित दिल्ली परिवहन निगम के सदस्य के तौर पर नियुक्त करती है, अर्थात् :—

1. डा० ए० एन० झा,
 उप-राज्यपाल, दिल्ली ।
2. श्री के० नारायणन,
 संयुक्त सचिव,
 नौवहन और परिवहन मंत्रालय ।
3. श्री पी० एन० जेन,
 संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय ।
4. श्री एस० सी० पाण्डेय,
 परिवहन निदेशक, दिल्ली ।
5. श्री आर० पी० वैश्य ।

2. डा० ए० एन० झा, उप-राज्यपाल, दिल्ली निगम के अध्यक्ष होंगे ।

(संख्या 5–टी०ए०जी०(23)/71–III)

S.O. 5084.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri R. P. Vaish as the General Manager and Shri K. N. Saigal as the Chief Accounts Officer of the Delhi Transport Corporation, established by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. 5-TAG(23)/71-I, dated the 3rd November, 1971.

[No. 5-TAG(23)/71-IV.]

G. C. BAVEJA, Jt. Secy.

एस०ओ० 5084.—सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर० पी० वैश्य तथा श्री के० एन० सहगल को नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 5–टी० ए०जी(23)।71–1 दिनांक 3 नवम्बर, 1971 द्वारा स्थापित दिल्ली परिवहन निगम के क्रमशः महाप्रबन्धक तथा मुख्य लेखा अधिकारी के तौर पर नियुक्त करती है ।

[संख्या–5 टी०ए०जी०(23)/71–IV]

ज्ञान चन्द बवेजा, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1971